श्यामलाल वगैरह बनाम मोहनलाल वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु० नं० - 116/2015
7-11-17	पत्रावली ... । वकलाय फरिकैन ... स्थित/ पीठा. ... कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22-1-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
31-1-18	इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16-4-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
16-4-18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. ... /अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23-7-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
10-5-18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष-2018 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महो. राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर ... की पालना एवं ... क्रमांक प.12 (15) राज-1 ... निर्देशों की ... श्रीमान जिला कलक्टर ... 23-7-18 तलब होकर पालना में पत्रावली ... पत्रावली लोक अदालत आज पेश हुई। ... स्थल ... सुनवाई हेतु ... अटल सेवा केन्द्र ... नॉगल ... मे दिनांक 28-5-18 को पत्रावली पेश हो। उक्त ... दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित होने हेतु सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस जारी हो। (हस्ताक्षर)
28.05.2018 (हस्ताक्षर) श्यामलाल (हस्ताक्षर) कानाराम यादव	पत्रावली आज राज्य सरकार के द्वारा चलाये जा रहे न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के महत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्पः– नॉगल में पेश हुई। प्रार्थीगण श्यामलाल, कानाराम यादव लोक अदालत में उपस्थित आये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के विरूद्ध दिनांक 16.11. 2015 को हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चूकी है तथा अप्रार्थी नम्बर 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हो चूका है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र तकास्मा से सम्बन्धित होने से मूल वादपत्र (हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner

श्यामलाल वर्गैरह बनाम मोहनलाल वर्गैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज रु० व० – 116/2015	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	में आज ही लोक अदालत की भावना से विधिक विभाजन प्रस्ताव मँगवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिकी जारी हो चूकी है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में निर्णय किया जाना उचित समझता हूँ। प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षकारान् को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि खसरा नम्बर 2484 रकबा 0.90 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम नॉगल तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– नॉगल के मजमे–ए–आम में सुनाया गया। (ब्रह्म लाल जाट) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः– नॉगल	

Scanned by CamScanner